आदेश
बारे में टिप्

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे०मि० (पी०ए०) रिवीजन वाद सं० 01/2021–22

बरसन सोरेन...आवेदक

बनाम

संतोष सोरेन...विपक्षी

आदेश

22.10.2021

यह रे०मि० (पी०ए०) रिवीजन वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी०ए० वाद सं०–71/94–95 में पारित आदेश दिनांक–05.06.2008 एवं 25.06.2008 के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा छोटा फुलझिझरी अंचल–काठीकुण्ड एक प्रधानी मौजा है एवं मौजा के अंतिम प्रधान नारायण सोरेन थे। अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में दशाएं गये वंशावली के अनुसार आवेदक पूर्व प्रधान के जेष्ठ वंशज के जेष्ठ परपोता है तथा विपक्षी आवेदक के द्वितीय (छोटा) भाई है। आवेदक का कहना है कि विपक्षी द्वारा मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत आवेदन दाखिल किया गया था। इस पर अंचल अधिकारी से जमाबंदी रैयतों की सूची भी प्राप्त की गई है किन्तु विपक्षी को संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद नियुक्त किया गया है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि उन्होंने विपक्षी के समर्थन में कोई शपथ पर दाखिल नहीं किया गया है। वे पूर्व प्रधान के जेष्ठ परपौता है, तथा उनका दावा प्रधान पद पर संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत बनता है। अतएव निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए रिवीजन आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

विपक्षी द्वारा लिखित बहस दाखिलकर कहा है कि विपक्षी को संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा 6 के अन्तर्गत प्रधान नियुक्त किया गया है, में किसी प्रकार का त्रुटि नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के 13 वर्ष पश्चात् आवेदक द्वारा यह रिवीजन आवेदन दाखिल किया गया है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए रिवीजन आवेदन को खारीज किया जाय।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय में विपक्षी द्वारा प्रधान नियुक्ति हेतु संताल परगना कास्कारी अधिनियम के धारा 5 के अन्तर्गत दायर किया गया है, उस पर अंचल अधिकारी से जमाबंदी रैयतों की सूची की मांग की गई है। अंचल अधिकारी द्वारा जमाबंदी रैयतों की सूची भी समर्पित किया गया है। वाद में अंचल अधिकारी द्वारा स्वतः विपक्षी को धारा 6 के अन्तर्गत प्रधान नियुक्ति हेतु प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। निम्न न्यायालय में विपक्षी के अलावें नोरेन सोरेन एवं सोम सोरेन द्वारा भी संताल परगना अधिनियम के धारा 6 के अन्तर्गत प्रधान पद नियुक्ति हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी को प्रधान पद पर किये गए नियुक्ति आदेश के विरूद्ध उपायुक्त के न्यायालय में रे0मि0 अपील वाद 59/08–09 दायर किया गया था। इस अपील वाद को उभय पक्षों की अनुपस्थिति के कारण वाद को समाप्त कर दिया गया है किन्तु इसमें Intervenor को अपने हित के लिए Fresh आवेदन न्यायालय में दाखिल करने का आदेश है।

आवेदक पूर्व प्रधान के जेष्ठ परपोता के आधार संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान पद पर दावा करते है। उनके द्वारा रूलिंग के B.B.C.J 1995 पेज सं0–131 से 134 की छायाप्रति दाखिल किया गया है जिसमें उल्लेख है :–

(4)

Santhal Parganas manual 1911-part with miscellaneous incidents on the death of pradhan his nearest male heir will be appointed to succed him.

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा निम्न न्यायालय में कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया है साथ ही यह रिवीजन आवेदन 13 वर्षो के वाद दायर किया गया है। इतने वर्षो के अन्तराल में दायर इस रिवीजन वाद पर किसी प्रकार आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः आवेदन को अस्वीकृत किया

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

306 D/Bdl-20.12.21

NOTO

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:08:18 +05:30
Location: 169.254.227.244